न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 171/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. लक्ष्मीदेवी उर्फ लच्छी देवी पुत्री मांगूराम जाति जाट निवासीनी वार्ड नम्बर 1 सेवा की ढाणी (कोछोर) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादीया

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादीया की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – **18.11.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 44 लगायत 46 खसरा नम्बर 48 लगायत 69 व खसरा नम्बर 71, 75 कुल किता 27 कुल रकबा 14.8500 है0 में वादिया का 1/56 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। तथा कृषि भूमियों खसरा नम्बर 81, 82, 84 लगायत 86 खसरा नम्बर 90 लगायत 104 खसरा नम्बर 106 लगायत 113 खसरा नम्बर 120 लगायत 125 कुल किता 34 कुल रकबा 2.8900 है0 में वादिया का 1/56 हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1890 रकबा 1.7700 है0 खसरा नम्बर 1891 रकबा 1.7000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 है0 में वादिया का हक हिस्सा 1/14 वाके ग्राम कोछोर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आ रहा है। उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम लच्छी पुत्री मांगु चला आ रहा है तथा अन्य रिकार्ड में लक्ष्मी पुत्री मांगु पत्नि चन्द्राराम दर्ज चला आ रहा है वादिया को लच्छी तथा लक्ष्मी दोनों नामो से जाना एवं पुकारा जाता रहा है जो ग्राम पंचायत कोछोर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी प्रमाणित और साबित है। वादिया का नाम उपरोक्त भूमियों में राजस्व रिकार्ड में लच्छी तथा अन्य रिकार्ड में लक्ष्मी दर्ज होने से वादिया के वैघ हक अधिकारों पर कुठाराघात होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। जिससे वायिया को उपरौक्त भूमियों के

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

विकास करने हेतु किसान केडिड कार्ड लोन लेने आदि सुविधा नहीं मिल पा रही है इसलिए वादिया का नाम उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में लच्छी उर्फ लक्ष्मी पुत्री मांगु जाति जाट निवासीनी कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर किये जाने के अंकन के ओदश प्रादन किये जाने आवश्यश्क है एवं इस अमल की उद्घोषणा जारी किया जाना प्रार्थनीय है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमलदरामद किये जाना उचित एवं न्यायसंगत है। वादकारण अर्सा करीब 15 दिन पूर्व पटवारी हल्का कोछोर द्वारा वादिया का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होकर माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर उत्पन्न होकर वाद नियोजन करने आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीया विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 44 लगायत 46 खसरा नम्बर 48 लगायत 69 व खसरा नम्बर 71, 75 कुल किता 27 कुल रकबा 14.8500 है0 तथा कृषि भूमियों खसरा नम्बर 81, 82, 84 लगायत 86 खसरा नम्बर 90 लगायत 104 खसरा नम्बर 106 लगायत 113 खसरा नम्बर 120 लगायत 125 कुल किता 34 कुल रकबा 2.8900 है0 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1890 रकबा 1.7700 है0 खसरा नम्बर 1891 रकबा 1.7000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 है0 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम लच्छी पुत्री मांगु के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम लच्छी देवी उर्फ लक्ष्मी देवी पुत्री मांगु दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीया का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम लच्छी पुत्री मांगु के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम लच्छी देवी उर्फ लक्ष्मी देवी पुत्री मांगु दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि आवेदक का नाम नामान्तकरण संख्या 909 निर्णय दिनांक 05.10.

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

2012 द्वारा लच्छी पुत्री मांगु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर वर्तमान तक लच्छी पुत्री मांगु राम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत कोछोर के प्रमाण पत्र पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम लक्ष्मी देवी पुत्री मांगु दर्ज है लच्छी देवी व लक्ष्मी देवी दोनों एक ही व्यक्ति है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीया का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीया का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 44 लगायत 46 खसरा नम्बर 48 लगायत 69 व खसरा नम्बर 71, 75 कुल किता 27 कुल रकबा 14.8500 है0 तथा कृषि भूमियों खसरा नम्बर 81, 82, 84 लगायत 86 खसरा नम्बर 90 लगायत 104 खसरा नम्बर 106 लगायत 113 खसरा नम्बर 120 लगायत 125 कुल किता 34 कुल रकबा 2.8900 है0 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1890 रकबा 1.7700 है0 खसरा नम्बर 1891 रकबा 1.7000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 है0 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादीया का नाम लच्छी देवी के स्थान पर वादीया का सही व वास्तिविक नाम लच्छी देवी उर्फ लक्ष्मी देवी पुत्री मांगुराम दर्ज किया जावे। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
; ब्पअपस च्तवबमकनतम ब्वकमए ।चचमदकपग श्क्ष . 1द्ध

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

लक्ष्मी देवी बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 171/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 18.11.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री शिवपालसिंह** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 44 लगायत 46 खसरा नम्बर 48 लगायत 69 व खसरा नम्बर 71, 75 कुल किता 27 कुल रकबा 14.8500 है0 तथा कृषि भूमियों खसरा नम्बर 81, 82, 84 लगायत 86 खसरा नम्बर 90 लगायत 104 खसरा नम्बर 106 लगायत 113 खसरा नम्बर 120 लगायत 125 कुल किता 34 कुल रकबा 2. 8900 है0 तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1890 रकबा 1.7700 है0 खसरा नम्बर 1891 रकबा 1.7000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 है0 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार** वादीया **का नाम लच्छी देवी पुत्री मांगु के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर लच्छी देवी उर्फ लक्ष्मीदेवी पुत्री मांगुराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2020 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

मोहर

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़